



अखित्यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल, काठमाडौं

मिति: २०८२।०२।२३ गते।

प्रेस विज्ञप्ति

विषय: सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रामेछापका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरु अमर बहादुर थापा, नारायण प्रसाद भण्डारी, सुरेश कुमार वागलेसमेत ६ जना उपर कमिशन लिएको, गैरकानूनी लाभ तथा हानी, गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय, सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोकसानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

जिल्ला रामेछाप, मन्थली नगर विकास समिति, मन्थली, रामेछापमा अस्थाई नायब सुब्बा पदमा कार्यरत टिका प्रसाद भट्टले आफूलाई कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको पत्रकार हुँ भनी सबै कार्यालयका कर्मचारीलाई धम्क्याउने र रकम असुल गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा, मन्थली नगर विकास समिति, रामेछापमा हाल नायब सुब्बा पदमा कार्यरत टिका प्रसाद भट्टले मन्थली नगर विकास समिति, रामेछापमा मिति २०४९।०४।०९ मा अस्थायी खरिदार पदमा ६(छ) महिनाको लागि शुरू नियुक्ति लिएकोमा नगर विकास समितिका पदाधिकारी समेतले मिति २०४९।०९।०९ मा अनिश्चितकालीन म्याद थप गरे/गराएको देखिन्छ। उक्त कार्य सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंको प्राप्त पत्रानुसार नगर विकास ऐन, २०४५ मा नगर विकास समितिको अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था नरहेको भन्ने विवरण प्राप्त भएको देखिन्छ। मिति २०७०।१०।०९ मा अस्थायी खरिदार पदबाट नायब सुब्बा पदमा बढुवा लिनुका साथै निज अस्थायी कर्मचारीले स्थायी कर्मचारी सरह गैरकानूनी तवरबाट ग्रेड सुविधा लिएको, अनिश्चितकालीन म्याद थप साथै बढुवा समेत भएको देखिन्छ। निज प्रतिवादी टिका प्रसाद भट्टले बढुवा प्राप्त गर्न दिएको निवेदन, निजको शैक्षिक योग्यता र कार्य सम्पादनको स्तरलाई हेरि बढुवा गर्ने राय पेश गरेकोमा बढुवाको निम्नि खटिएको कार्यदलले सोको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको देखिदैन र निज टिका प्रसाद भट्टको नायब सुब्बा पदमा बढुवा हुने योग्यता पुगेको देखिदैन। मन्थली नगर विकास समितिको कर्मचारी निज टिका प्रसाद भट्ट वि.सं. २०५३ सालदेखि कान्तिपुर पब्लिकेशन लिमिटेडको विभिन्न पदमा कार्यरत रही काम गर्दै आएको देखिएकोमा मिति २०६७।०९।०९ मा कान्तिपुर दैनिकको पूर्णकालीन स्थायी कर्मचारिको नियुक्ति लिई उक्त पब्लिकेशनबाट नियमित पारिश्रमिक तथा तलब सुविधा प्राप्त गरेको देखिन्छ। मन्थली नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मन्थली, रामेछापको पत्रानुसार मन्थली नगर विकास समितिमा कार्यरत टिका प्रसाद भट्टले कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समयमा अन्य कुनै पेशा तथा व्यवसाय गर्न अनुमती प्रदान गरेको अभिलेखमा नरहेको भन्ने विवरण प्राप्त भएको देखिन्छ। मन्थली नगर विकास समिति, रामेछापको कर्मचारी टिका प्रसाद भट्टले मन्थली नगर विकास समिति तथा कान्तिपुर पब्लिकेशन लि. साथै एकै समयमा कार्यालयमा हाजिरी रही रामेछाप जिल्ला स्थितका अन्य कार्यालयहरू र सिन्धुली जिल्ला स्थितका कार्यालयबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आफ्नो परिचय लुकाई/गोप्य राखी कान्तिपुर दैनिकको

पत्रकारको हैसियतमा विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखहरूलाई समेत प्रभाव, दबावमा पारी पत्रकारको हैसियतमा उक्त कार्यालयहरूबाट काज/भ्रमण तथा बैठकमा खटिई भत्ता बापतको रकम समेत लिई गैरकानूनी लाभ प्राप्त गरेको देखिन्छ। सोही समयमा मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मन्थली, रामेछापको सञ्चालक समिति (कोषाध्यक्ष)को रूपमा कार्यरत रही उक्त बैठकमा समेत उपस्थित भई गैरकानूनी लाभ लिएको देखिन्छ। निज टिका प्रसाद भट्ट मिडाड नेपाल नामक विज्ञापन एजेन्सिको साईट मेनेजर/स्थानीय प्रतिनिधिको रूपमा आफू कार्यरत कार्यालय सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रामेछापबाट विज्ञापन प्रकाशन गरी आफैले कमिशन बापतको रकम समेत लिएको देखिन्छ। मिडाड नेपालको स्थानीय प्रतिनिधी तथा पत्रकारको हैसियतमा जिल्ला स्थित कार्यालयहरूका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखहरूलाई अनुचित प्रभावमा पारी उक्त कार्यालयहरूबाट सूचना प्रकाशन गरी मिडाड नेपाल मार्फत कमिशन लिएको, सिटिजन्स लाईफ ईन्स्योरेन्स लि.को एजेन्टको रूपमा समेत कार्य गरी भत्ता तथा अन्य सुविधा समेत लिएको देखिन्छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारी टिका प्रसाद भट्टले व्यवसाय गर्नु, सहकारीको सञ्चालक भई काम गरेर सुविधा लिनु, आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई पत्रकारको रूपमा विभिन्न कार्यालयहरू लाई दबाव/प्रभावमा पारी भ्रमण भत्ता तथा बैठक भत्ता लिनु र मिडाड नेपाल नामक विज्ञापन एजेन्सीमार्फत सूचना प्रकाशित गरे वापत कमिशन लिई सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थामा दाखिला नगर्नु, विज्ञापन एजेन्सिको प्रतिनिधीको रूपमा कमिशन लिई काम गर्नु, सिटिजन्स लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीको एजेन्टको रूपमा काम गरी रकम भुक्तानी समेत लिएको देखिन्छ। साथै, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू अमर बहादुर थापा, नारायण प्रसाद भण्डारी, सुरेश कुमार वाग्ले, लेखा प्रमुखहरू यमलाल बेलवासे र सुरेश प्रसाद दाहालले निज प्रतिवादी टिका प्रसाद भट्टसँगको मिलोमतो तथा योजनामा गैरकानूनी तवरबाट आफै कार्यालयबाट दोहोरो भत्ता दिएको, आफ्नो कार्यालयको राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई एकै समयमा गैरकानूनी रूपमा कान्तिपुर पब्लिकेशन लि. मा स्थायी नियुक्ति लिएर काम गरी तलब भत्ता तथा पारिश्रमक बापत सेवा सुविधा लिएको, मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मन्थलीको संस्थापक सदस्य र सञ्चालक समितिमा रही काम गरी परिश्रमिक बापत भत्ता तथा सुविधा लिएको, मिडाड नेपाल नामक विज्ञापन एजेन्सीको स्थानीय प्रतिनिधी/साईट म्यानेजर भई कमिशन रकम लिएको, सिटिजन्स लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.को बिमा अभिकर्ताको रूपमा काम गरी कमिशन लिएको, आफू कर्मचारी भन्ने वास्तविक परिचय लुकाई कान्तिपुर दैनिकको पत्रकारको हैसियतले एकै समयमा विभिन्न कार्यालयहरूबाट दोहोरो हुने गरी भ्रमण/काज खटिई भ्रमण भत्ता तथा बैठक भत्ता बापतको रकम बुझि लिँदा समेत उक्त विषयमा आवश्यक कारबाही गरेको नदेखिएकोबाट निज प्रतिवादी टिका प्रसाद भट्टले अन्य प्रतिवादीहरूसँगको मिलोमतोमा आर्थिक वर्ष २०४९।०५० देखि आ.व. २०८०।०८१ सम्म कार्यालयगत रूपमा तालिका नं. १ बमोजिमको जम्मा रु.१,१५,०४,१११।- (अक्षरेपी एक करोड पन्च लाख चार हजार एक सय एघार रूपैया) गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने गराउने कार्य गरेको, गैरकानूनी तवरले कमिशन लिएको, गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गरेको र सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरू उपर देहाय बमोजिमको मागदाबी लिई आज बिशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

तालिका नं.१

प्रतिवादी टिका प्रसाद भट्टले एकै समयमा विभिन्न कार्यालय/निकायवाट गैरकानूनी लाभ लिएको विवरण

| आ.व.। कार्यालय | नगर विकास समिति मन्थरी रामेश्वरप ग्रेड | कान्तिपुर विकास समिति मन्थरी रामेश्वरप | नगर विकास समिति मन्थरी रामेश्वरप | सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना | मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | सिटिजन्स लाइफ ईन्सुरेन्स | मिडाउ नेपाल | सडक डिमिजन, खुकोट सिन्धुली | उद्योग वाणिज्य कार्यालय | बिल्ला समन्वय समिति | स्वास्थ्य कार्यालय रामेश्वरप | नेपाल विद्युत प्राधिकरण | संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना | नारी कर्यालय रामेश्वरप | प्रधानमन्त्री कृषि वाष्णविकरण परियोजना रामेश्वरप | पूर्वाधार विकास समिति | जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिमिजन | मालपोत कार्यालय रामेश्वरप | गोकुल गांगामाउँपालि का | खांडा देवी गाउँपालिका | जिल्ला निवारिचन कार्यालय, मन्थरी | जम्मा | |
|----------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|---|------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|----------|
| २०५०।०५१ | २१६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | २१६ | |
| २०५१।०५२ | ४३२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ४३२ | |
| २०५२।०५३ | ६४८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ६४८ | |
| २०५३।०५४ | ८६४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ८६४ | |
| २०५४।०५५ | ५०४० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ५,०४० | |
| २०५५।०५६ | ६०४८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ६,०४८ | |
| २०५६।०५७ | ७०५६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ७,०५६ | |
| २०५७।०५८ | १०५६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | १०,५६० | |
| २०५८।०५९ | ११८८० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११,८८० | |
| २०५९।०६० | १३२०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | १३,२०० | |
| २०६०।०६१ | १४५२० | २७५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ४२,०२० | |
| २०६१।०६२ | १५८४० | ६६००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ८९,८४० | |
| २०६२।०६३ | १७१६० | ६६००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ८३,१६० | |
| २०६३।०६४ | १९८०० | ६९६०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ८९,४०० | |
| २०६४।०६५ | १९८०० | ७९५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | १९,३०० | |
| २०६५।०६६ | १९८०० | १०५६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | १,१०,३०४ | |
| २०६६।०६७ | १९८०० | १२४४० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | १,१२,२४० | |
| २०६७।०६८ | १९८०० | ८८७९२ | ८४८९ | | | | | | | | | | | ८००० | | | | | | | | | १,२५,०८१ |
| २०६८।०६९ | १९८०० | ८३५८० | ६६०० | | | | | | | | | | | ३९२५ | ८७७५ | ५२५५ | | | | | | | १,२६,९३५ |
| २०६९।०७० | १९८०० | ८३५८८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | १,०३,३८८ | |
| २०७०।०७१ | १९८०० | ८३५८८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ९३,४८८ | |
| २०७१।०७२ | २८८० | ८३५८८ | १४४७५ | | | | | | | | | | | १६४२० | | | | | | | | | १,१६,३६३ |
| २०७२।०७३ | ५७६० | २३६२४७ | ८८०० | | | | | | | | | | | २३००० | ७२०० | | | | | | | | २,८८,६५७ |
| २०७३।०७४ | २८१८८ | २७६५८८ | ८५० | | | | | ६०००० | | | | | | १३८५० | | | | | | | | | ३,८२,८७१ |
| २०७४।०७५ | ३७८८४ | २९८७१० | | | | | १०८४६० | | | | | | | १२७५ | | | | | | | | ४,४६,७२९ | |
| २०७५।०७६ | ४६९८० | २९४३७३ | ८५०० | | | | १७८२० | ११४०८० | | | | | | १७०० | | | | | | | | ४,९४,४५३ | |
| २०७६।०७७ | ६७६८० | २४३१४५ | | | | | ६६००० | ११८८०० | २३१७८८ | १२४००० | | | | | | | | | | | | ८,९४,५०३ | |
| २०७७।०७८ | ७८९६० | ३१२१३६ | २५५० | १७०९७५ | १३२८२५ | २४६८०३ | १०४८४५० | | | | | | | | | | | | | | | ११,९१,८९९ | |
| २०७८।०७९ | ९६६७२ | ३०२४२१ | | | | | २१९८५० | १३६८५० | ६६९५० | १२१८९५० | | | | | १२०० | | | २४००० | २०००० | | | २०,९६,८९३ | |
| २०७९।०८० | १२५०६४ | ३०७६१५ | २५५० | २४७३०० | ११९८५० | ५८९९९ | १२६०९४० | | | | | | | १२७५ | ३८२५ | १३००० | २१४०० | १०४८५ | २६००० | १२००० | | १,२७५,२२,१४८ | |
| २०८०।०८१ | १०४२२० | १०४७१५७ | १०५३०० | ६१२०० | १३३४४ | १२०९०० | १२०९०० | | | | | | | | | | | २५५० | | | | १४,५५,४१५ | |
| जम्मा | ८४५९५२ | ४२३४०४१ | ५२८१४ | ८०८६२५ | ७५५८०५ | ७३०५८ | ३७७१६४० | ३९४२० | २९२२५ | २०६०० | १३००० | ५२५५ | ३३४०० | ५१५० | १३०२५ | ४८००० | ३६००० | ३४०० | २०००० | ३२७०० | १२७५ | १,१५,०४,१११ | |

देहाय

| सि.नं. | प्रतिवादीको नामथर र | कसुर | बिगो रु. | कसुर तथा सजायको मागदाबी |
|--------|--|--|-----------------|--|
| १. | मन्थली नगर विकास समिति, मन्थली रामेछाप/सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रामेछापका अस्थायी नायब सुब्बा टिका प्रसाद भट्ट | क. कमिशन लिई भ्रष्टाचार गरेको। | रु. ३७,७१,६४०।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६ बमोजिम कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा ६ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ड) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम बिगो जफत/असुल हुन मागदाबी लिईएको। |
| | | ख. गैर कानूनी व्यापार व्यवसाय गरी भ्रष्टाचार गरेको। | रु.५७,२०,४३०।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १४ बमोजिम कसुर गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १४ बमोजिम कैद सजाय गरी सोही दफा १४ बमोजिम जफत/असुल हुन मागदाबी लिईएको। |
| | | ग. नेपाल सरकार/ सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने बदनियतले काम गरेको। | रु.३,०४,६५०।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ड) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना र असुल उपर हुन मागदाबी लिईएको। |
| | | घ. सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हानिनोकसानी गरी भ्रष्टाचार गरेको। | रु.१७,०७,३९९।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर भएको देखिएको हुँदा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिईएको। |
| २. | सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रामेछापका तत्कालीन आयोजना प्रमुख अमर बहादुर थापा | क. कमिशन लिई लिन लगाई भ्रष्टाचार गरेको। | रु.२,७३,२८५।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ६ बमोजिम कसुर गरेको देखिएको हुँदा सोही ऐनको दफा ६ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम बिगो जफत/असुल हुन मागदाबी लिईएको। |

| | | | | |
|----|---|--|---------------|--|
| | | | | लिईएको । |
| ६. | सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रामेछापका तत्कालीन लेखा प्रमुख सुरेश प्रसाद दाहल | सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको । | रु.४,७९,५५०।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ वमोजिमको कसूर भएको देखिएको हुँदा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे वमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) वमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) वमोजिम विगो वमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदावी लिईएको छ । |

प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल